Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपियो देवेन्द्र, नीटू व सोनू प्रत्येक को हुई 03 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्तों 1.देवेन्द्र पुत्र ईश्वर, 2.नीटू पुत्र बाबूराम व 3.सोनू पुत्र भवर सिंह निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत के विरूद्ध थाना बडौत पर मु0अ0सं0 260/2008 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 27.05.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों देवेन्द्र, नीटू व सोनू को दोषी पाते हुए प्रत्येक को 03 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

Baghpat Police   baghpatpolice   @baghpatpolice

Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

चोरी की घटना कारित करने के आरोपी विकाश त्यागी उर्फ बन्टी को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 16 माह 12 दिन का कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त विकाश त्यागी उर्फ बन्टी पुत्र विनोद त्यागी निवासी ग्राम मुकारी थाना बालैनी जनपद बागपत द्वारा चोरी करने की घटना कारित की गयी थीं जिसके सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 308/2023 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में अभियोजन विभाग व पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 27.05.2025 को मा0 न्यायालय जेएम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त विकाश त्यागी उर्फ बन्टी को दोषी पाते हुए 16 माह 12 दिन के कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice   baghpatpolice   Baghpat Police

प्रेस नोट जनपद बागपत

जनपद बागपत   दिनाँक 27.05.2025

बागपत पुलिस ने 04 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का नाम व पताः-

1-आजाद पुत्र बाबू निवासी ग्राम गौसपुर थाना सिंघवाली अहीर जनपद बागपत।
2-आबाद पुत्र बाबू निवासी ग्राम गौसपुर थाना सिंघवाली अहीर जनपद बागपत।
3-बजन सिंह पुत्र पूरन सिंह निवासी ग्राम बौढ़ा थाना छपरौली जनपद बागपत।
4-निखिल पुत्र भारत भूषण शर्मा उर्फ बब्बू शर्मा निवासी ग्राम नया सुभानपुर थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-थाना सिंघावली अहीर पुलिस टीम। (02 वारंटी)
2-थाना खेकडा पुलिस टीम। (01 वारंटी)
3-थाना छपरौली पुलिस टीम। (01 वारंटी)

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली खेकड़ा   दिनाँक 27-05-2025

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकड़ा पुलिस ने शिव मन्दिर ग्राम गोठरा के पास मिली लापता मंदबुद्धि महिला को अथक प्रयास के बाद अल्प समय में सकुशल उसके परिजनों से मिलाकर किया सुपुर्द।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकड़ा पुलिस द्वारा ग्राम गोठरा शिव मन्दिर के पास मिली एक लापता मंदबुद्धि महिला को अथक प्रयास के बाद अल्प समय में सकुशल उसके परिजनों से मिलाकर सुपुर्द किया गया।

परिजनों द्वारा बागपत पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

बरामद/सुपुर्द करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 सुजीत कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

2-है0का0 353 नरेश कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

3-म0का0 764 प्रियंका थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

4.म0का0 82 निर्मल चौधरी थाना खेकडा जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 27.05.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 297/2024 धारा 105 बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 27.05.2025 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी राहुल पुत्र श्री धर्मवीर निवासी ग्राम कसेरवा खुर्द थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली ने लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि अभियुक्त दुष्यन्त पुत्र राजेन्द्र सिंह व राजेन्द्र निवासी ग्राम फैजपुर निनाना द्वारा वादी की बहन पूनम पत्नी दुष्यन्त पुत्र राजेन्द्र के साथ मारपीट की तथा मारपीट से तंग आकर वादी की बहन ने जहरीला पदार्थ पी लिया जिसकी अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 297/2024 धारा 105 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 297/25 धारा 105 बीएनएस में वाछिंत 01 अभियुक्त दुष्यन्त को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

दुष्यन्त पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम फैजपुर निनाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-निरी0 श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना कोतवाली बागपत।

2- का0 556 इलियास थाना कोतवाली बागपत।